२५/५/२८	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण व काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण विरुद्ध वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नेश्त से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

रामखिलाडी पुत्र नारायण आयु 65 साल जाति कुम्हार पेशा काश्तकारी निवारी गेलागेट बाहर तीन दरवाजे के पास करौली तहसील व जिला करौली राज0

——वादी

बनाम

1. नारायण पुत्र पून्या आयु 75 साल (फौत)
2. चरण पुत्र नारायण आयु 50 साल
3. हंसराम पुत्र भजन आयु 25 साल
4. खिलाडी पुत्र नारायण आयु 40 साल

} सभी जातियान मालीयान निवासीयान गेलागेट बाहर तीन दरवाजे के पास करौली तहसील व जिला करौली राज0

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत हुक्म इम्तनाई दवामी व दीगर दादरसी

मुकदमा नं. 4/14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री श्याम सुन्दर शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू श्री विष्णु चंद बंसल, एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी खारिज किये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बावत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज वगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24/5/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मुदई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:—4 / 14 तारीख रजु:—10.2.14

उनवान

रामखिलाडी पुत्र नारायण आयु 65 साल जाति कुम्हार पेशा काश्तकारी निवासी मेलागेट बाहर तीन दरवाजे के पास करौली तहसील व जिला करौली राज0

——वादी

बनाम

1. नारायण पुत्र पूरया आयु 75 साल (फौत)
2. चरण पुत्र नारायण आयु 50 साल
3. हंसराम पुत्र भजन आयु 25 साल
4. खिलाडी पुत्र नारायण आयु 40 साल

सभी जातियान मालीयान निवासीयान मेलागेट बाहर तीन दरवाजे के पास करौली तहसील व जिला करौली राज0

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत हुक्म इम्तनाई दबामी व दीगर दादरसी

—::निर्णय::— दिनांक:— 24/4/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबरान 7651, 7652, 7653, 7654, 7657, 7874 वाके मेला गेट बाहर मेढ की के उपर तीन दरवाजा के पास करौली तहसील, जिला करौली में स्थित है जिनके खातेदार वादी व वादी की मॉ/चौथी एवं वादी का भाई हरप्रसाद है चौथी व हरप्रसाद फौत हो चुके है हरप्रसाद निःसंतान मर गया चौथी वादी की माता थी इस प्रकार उक्त आराजीयात का मात्र खातेदार काश्तकार काबिज मै वादी ही हूं तथा उक्त आराजीयात को काश्तकार अपना व अपने परिवार का पालन करता हूं। मौके पर वादी की फसल गेहूं व सरसों व अपने परिवार का पालन करता हूं। मौके पर वादी की फसल गेहू व सरसो हरी भरी हालत में खडी हुई है। आराजीयात से किसी किस्म का कोई सबंध व ताल्लुक नही है प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजीयात के पडौसी है तथा इनकी नियत वादी की आराजीयात पर नाजायज कब्जा कर छीनने की बन चुकी है इनके मुकाबले वादी कमजोर है। विवादित नंबरान में घुस कर प्रतिवादीगण ने वादी की डोल को फौडा तथा दिनांक 28.1.2014 को प्रतिवादीगण ने डोल फोडते हुये मेरी उक्त आराजीयात में घुस आये तथा करीब 50 फुट वादी की जमीन में घुसकर मकान निर्माण हेतु नींव खुदवाना शुरू कर दिय तथा वादी ने रोका तो वह कह दिया कि पवारी ले आ अगर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

पटवारी ले आ अगर पटवारी तेरी जमीन बताता है तो छोड दूंगा दिनांक 2.2.2014 को हल्का पटवारी मौके पर गया और उसने प्रतिवादीगण को समझाया तो भी प्रतिवादीगण नही माने और मौके पर कार्य लगातार जारी है एवं नींव भर चुकी है अभी दावा नही फिरा है वादी ने आज दिनांक 7.2.2014 को भी मौके पर जाकर प्रतिवादीगण को समझाया कि एक ओर तो मुझ गरीब की जमीन को दवा रहे हो दूसरी जानिब कृषि भूमि में अकृषि कार्य कर हरे हो तो भी प्रतिवादीगण नही माने और मुझे जान से मारने पर उतारू हो गये और कार्य बदस्तूर आज भी जारी है। प्रतिवादीगण के विरूद्व विनाय मुखासमत दिनांक 28.1.2014 को विवादित आराजीयात में नींव खुदने का कार्य शुरू करने तथा वादी द्वारा पर प्रतिवादीगण से मना करने पर भी मानने तथा दिनांक 2.2.2014 को कार्य बदस्तूर जारी रखने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई। प्रतिवादीगण लायके पाबंदी है कि वह वाी की आराजीयात में नाजायज निर्माण ना करे तथा कृषि भूमि को अकृषि कार्य हेतु इस्तेमाल ना करे तथा तुरन्त प्रभाव से कार्य बंद करें। अंत दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया है कि विवादित आराजीयात का कस्बा करौली में स्थित होना स्वीकार हैं वकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही हैं। वादी विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार नही है। वादी का आराजीयात पर कोई कब्जा नही है। वादी हर प्रसाद का वारिस नही है। वादी की कोई फसल विवादित आराजीयात में नही हैं। वादी के अलावा वादी की वहिन है। जिन्हें वादी ने जानबूझ कर पक्षकार मुकदमा नही बनाया है। ऐसी स्थिति में दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण वादी के पडौसी नही है। बल्कि खसरा नंबर 7649/1, 7650 के बीच मेड बनी हुयी हैं। जो सैकडों वर्ष पूर्व से बनी हुयी है। वादी द्वारा दावा की आड में प्रतिवादी नं0 1 के खातेदारी व कब्जे की आराजीयात खसरा नंबर 7649/1 व 7650 कस्बा करौली को हडपना चाहते हैं। वादी पैसे वाला व ताकतवर व्यक्ति है। प्रति.कमजोर व गरीब व्यक्ति है और वादी ताकत के बल पर प्रतिवादीगण के भवन निर्माण है और वादी ताकत के बल पर प्रतिवादीगण के भवन निर्माण को रोकने पर उतारू है जिसका वादी को कोई विधिक अधिकार नही है। वादी का दावा कब्जे के अभाव में चलने योग्य नही है। वादी ने इस मद में सारे तथ्य मनगढंत वेग व निराधार दर्ज किये है। प्रतिवादीगण ने दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

28.1.14 को डोल सैकडो साल पूर्व से ही जैसी हालत में है बनी हुयी है। प्रति. के भवन सैकडो साल पूर्व से पाटोर पोश व पुख्ता बने हुये है और प्रति. की 15 वर्ष पूर्व की दासाबंदी हो रही है। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा नवीन भवन निर्माण कार्य ऊंचा करते हुये किया है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 28.1.14 को कोई नवीन नवीन खुदाई कार्य नही किया है। वादी ने मात्र वादी कारण बनाने की बदनियती से यही गलत तथ्य दिनांक 28.1.14 को नींव खोदने का दर्ज किया है। दिनांक 2. 2.14 को पटवारी हल्का मौके पर नही गया पटवार हल्का 9 वादी से साज किये हुये है। दिनांक 2.2.14 को पटवारी हल्का जब मौके पर नही गया है तब प्रति. को समझाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। दिनांक 7.2.14 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को समझाने वाली बात असत्य दर्ज की है। दासाबन्दी कार्य 15 वर्ष पूर्व को है जिस पर प्रतिवादीगण का निर्माण खसरा नंबर 7649/1 व 7650 में है। जिससे वादी का कोई कोई सबंध नही है। दावा वादी खारिज होने योग्य है। वादी को कोई विनाय मुखासमत दिनांक 28.1.14 व 2.2.14 को प्रतिवादीगण के विरूद्व पैदा नही हुई है। दावा वादी म्याद बाहर है और हर सूरत में खारिज होने योग्य है। वादी को प्रतिवादीगण के निर्माण कार्य को रूकवाने का कोई विधिक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण का निर्माण खसरा नंबर 7649/1 व 7650 में है। जिससे वादी का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। वादी न्यायालय हाजा से प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। दावा वादी हर सूरत खारिज किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नंबर 7649/1 रकवा 1 विस्वा खसरा नं0 4650 रकवा 2 विस्वा कस्बा करौली प्रतिवादी नं0 1 के खातेदारी व कब्जे की हैं। जिसमें प्रतिवादी नं0 1 की पाटोर पोश व पुख्ता मकानियत सैकडा वर्ष पूर्व की बनी हुई है जिसमें से पाटोर पोश मकानियत को हटा कर दिनांक 6.2.14 को प्रतिवादी नं0 1 ने उसी पुरानी नींव की ऊंचाई दासाबंदी को उठाते हुये निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है जिसे वादी ताकत के व पैसे के बल पर रोकने पर उतारू हो रहा है। और दिनांक 6.2.14 को वादी ने गैरसायल नं0 1 से ऐलानियां धमकी दी कि मै तुझे तेरी खातेदारी भूमि में भवन निर्माण नही करने दूंगा और तुझे परेशान कर कर रहूंगा। वादी की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक प्रति.8. 1 पर भारी आघात है। यदि वादी ने प्रतिवादी नं0 1 को आराजी खसरा नंबर 7649/1 व 7650 में भवन निर्माण नही करने दिया तो प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा होगी। इसलिये प्रतिवादी नं0 1 वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा काउन्टर क्लेम से पाबंद कराने का अधिकारी है। विनाय मुखासमत काउन्टर क्लेंम वादी के दावे के सम्मन

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रतिवादीगण को दिनांक 15.2.14 को प्राप्त होने पर पैदा हुई है। अंत में दावा वादी खारिज व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वादी द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी विवादित जायदाद का खातेदार काश्तकार है हाल जमाबंदी 2068/2071 दावे के साथ पेश की गयी है जिसमें खातेदार के रूप में मुझ वादी का नाम दर्ज है वादी ही उक्त आराजीयात पर फराल काश्त करता चला आ रहा है हरप्रसाद सायल का बडा भाई था और नि/संतान फौत हो गया था मां चौथी का भी देहांत हो चुका है। इसलिए उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार काबिज वादी ही है तथा उक्त आराजीयात को काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन करता है रिकार्ड पर नही होने के कारण बहन को पार्टी नही बनाया गया है ऐसी सूरत में दावा व दर0 वादी सायल स्वीकार होने योग्य है एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज होने योग्य है। 2—यह कि काउन्टर क्लेम का मद नं0 2 जिस तौर पर दर्ज किया गया है स्वीकार नही वादी व प्रतिवादी दोनों के खेत अगल बगल में है इस प्रकार दोनों पडौसी है प्रतिवादीगण के खसरा नंबर 7649/1, 7650 के बीच कोई मेड बनी हुई नही है मेड वादी की आराजीयात व प्रतिवादीगण की आराजीयात के बीच बनी हुई है जिसे प्रतिवादी ने तोडकर अपना मकान निर्माण किया जा रहा है इस आड में प्रतिवादीगण सायल की भूमि को हडपना चाहते है यह कहना भी गलत है कि वादी पैसे वाला व ताकतवर व्यक्ति है बल्कि वादी गरीब व कमजोर व्यक्ति है तथा वृद्व है प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वादी की भूमि में घुसकर भवन निर्माण कर रहे हे जिसका प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकारी नही है और वादी उक्त आराजीयात पर पूरी तरह से काबिज काश्त है इस कारण दावा वादी स्वीकार होने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 28.1.2014 को डोल तोडकर मुझ वादी की आराजीयात में घुस आये और करीब 50 फुट वादी की जमीन में घुसकर मकान निर्माण हेतु नींव खुदवाना शुरू कर दिया और प्रतिवादीगण का सैकडों वर्ष पूर्व से कोई पाटोर पोश व पुख्ता नही बने हुए है ना ही कोई 15 वर्ष पूर्व दासाबन्दी हो रही है प्रतिवादीगण द्वारा हाल ही में वादी की भूमि में घुसकर नींव भरी गयी है और दासाबन्दी की गयी है प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 28.1.2014 को नवीन नींव खुदायी की गयी हे वादी ने कोई भी तथ्य गलत दर्ज नही किये गये है बल्कि सत्य कथन दर्ज किये गये है। यह भी सही है कि

उपखण्ड अधिकारी

दिनांक 2.2.2014 को पटवारी मौके पर गया और उसने भी प्रतिवादीगण को समझाया कि तुम वादी की भूमि में भवन निर्माण मत करो लेकिन प्रतिवादीगण नही माने तथा 7.2.2014 को मुझ वादी द्वारा भी गैरसायलान को समझाया कि तुम वादी की भूमि में भवन निर्माण मत करो लेकिन प्रतिवादीगण नही माने तथा 7.2.2014 को मुझ वादी द्वारा भी गैरसायलान को समझाया कि एक ओर तो मुझ गरीब की जमीन को दबा रहे हो दूसरी जानिब कृषि भूमि में अकृषि कार्य कर रहे हो लेकिन प्रतिवादीगण नही माने और मुझ वादी को जानसे मारने पर उतारू हो गए तथा कार्य बदस्तूर आज भी जारी है वादी द्वारा पुलिस में भी शिकायत की गयी और पुलिस थाने वाले भी प्रतिवादीगण से काम बंद करने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा उनके वापिस जाते ही निर्माण फिर शुरू कर दिया गया दावा वादी स्वीकार होने योग्य है। प्रतिवादीगण वादी की आराजीयात में 50 फुट अंदर घुसकर अपना भवन निर्माण कर रहे है अगर प्रतिवादीगण का कार्य पूरा हो जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति व असुविधा होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद कतई संभव नही है तथा वादी के हक हकूक पर आघात होगा दावा वादी स्वीकार होने योग्य है। 5—यह कि काउन्टर क्लेम का मद नं0 5 गलत है और स्वीकार नही है वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण की कोई पाटोर पोश मकानियत सैकडो वर्ष की बनी हुई नही हे नाही कोई पुरनी नींव पर दासबंनदी कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया है नाही वादी ने दिनांक 6.2.14 को कोई धमकी दी बल्कि प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वादी की भूमि को दबाते हुए भवन निर्माण किया जा रहा है वादी के समस्त हक हकूक प्राप्त है अगर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा होगी इसलिए वादी प्रतिवादी 1 ता 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। विवादित आराजीयात एक मात्र वादी के कब्जे काश्त की आराजीयात है प्रतिवादीगण ने मेरे जमीन में जबरन ताकत के बल पर निर्माण कार्य कराया है तथा प्रतिवादीगण ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नं0 7649/1 व 7650 में कोई निर्माण कार्य नही कराया है तथा प्रतिवादीगण नें मुझ वादी से ऐलानियां कहां कि मेरी मर्जी हो जहां पुकार हम तो तेारी आराजी में ही मकान निर्माण करायेंगे और प्रतिवादीगण ताकत व पैसे के बल पर मेरी उक्त

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

आराजी में मकान निर्माण कर रहे है। अंत में काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये हैः–

1. आया विवादित आराजी खसरा नं0 7651, 7652, 7653, 7654, 7657, 7874 कस्बा करौली वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

——वादी

2. आया विवादित आराजीयात में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध निर्माण को वादी हटवाने का अधिकारी है। —वादी
3. आया विवादित आराजी खसरा न0 7649/1, व 7650 कस्बा करौली प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है।वादी को प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

——प्रतिवादीगण

4. आया दावा वादी न्यायालय हाजा के सुनवाई योग्य नही है।

——प्रतिवादीगण

5. अनुतोष :–

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी रामखिलाडी पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2068–71 पेश की है। साक्ष्य वादी समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी रामखिलाडी डीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदश ए–1 पेश की है। साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त कर बंद की गई।

वादी ने रिपिटल में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 27.03.2026 को रिपिटल साक्ष्यवादी बंद की गई।

बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

बहस वकील वादी का कथन है कि आराजी खसरा नंबरान 7651, 7652, 7653, 7654, 7657, 7874 वाके मेला गेट बाहर मेढ की के उपर तीन दरवाजा के पास करौली तहसील, जिला करौली में स्थित है जिनके खातेदार वादी व वादी की माँ/चौथी एवं वादी का भाई हरप्रसाद है चौथी व हरप्रसाद फौत हो चुके है हरप्रसाद निःसंतान मर गया चौथी वादी की माता थी इस प्रकार उक्त आराजीयात का मात्र खातेदार काश्तकार काबिज मै वादी ही हूं तथा उक्त आराजीयात को काश्तकार अपना व अपने परिवार का पालन करता हूं। मौके पर वादी की फसल गेहूं व सरसों व अपने परिवार का पालन करता हूं। मौके पर वादी की फसल गेहू व सरसो हरी भरी हालत में खडी हुई है। आराजीयात से किसी किस्म का कोई सबंध व ताल्लुक नही है प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजीयात के पडोसी है तथा इनकी नियत वादी की आराजीयात पर नाजायज कब्जा कर छीनने की बन चुकी है इनके मुकाबले वादी कमजोर है। विवादित नंबरान में घुस कर प्रतिवादीगण ने वादी की डोल को फौडा तथा दिनांक 28.1.2014 को प्रतिवादीगण ने डोल फोडते हुये मेरी उक्त आराजीयात में घुस आये तथा करीब 50 फुट वादी की जमीन में घुसकर मकान निर्माण हेतु नींव खुदवाना शुरू कर दिय तथा वादी ने रोका तो वह कह दिया कि पवारी ले आ अगर पटवारी ले आ अगर पटवारी तेरी जमीन बताता है तो छोड दूंगा दिनांक 2.2.2014 को हल्का पटवारी मौके पर गया और उसने प्रतिवादीगण को समझाया तो भी प्रतिवादीगण नही माने और मौके पर कार्य लगातार जारी है एवं नींव भर चुकी है अभी दावा नही फिरा है वादी ने आज दिनांक 7.2.2014 को भी मौके पर जाकर प्रतिवादीगण को समझाया कि एक ओर तो मुझ गरीब की जमीन को दवा रहे हो दूसरी जानिब कृषि भूमि में अकृषि कार्य कर हरे हो तो भी प्रतिवादीगण नही माने और मुझे जान से मारने पर उतारू हो गये और कार्य बदस्तूर आज भी जारी है। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे।

बहस वकील प्रतिवादीगण का कथन है कि विवादित आराजीयात का कस्बा करौली में स्थित होना स्वीकार हैं वकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही हैं। वादी विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार नही है। वादी का आराजीयात पर कोई कब्जा नही है। वादी हर प्रसाद का वारिस नही है। वादी की कोई फसल विवादित आराजीयात में नही हैं। वादी के अलावा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

वादी की वहिन है। जिन्हें वादी ने जानबूझ कर पक्षकार मुकदमा नही बनाया है। ऐसी स्थिति में दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण वादी के पडौसी नही है। बल्कि खसरा नंबर 7649/1, 7650 के बीच मेड बनी हुयी हैं। जो सैकडों वर्ष पूर्व से बनी हुयी है। वादी द्वारा दावा की आड में प्रतिवादी नं0 1 के खातेदारी व कब्जे की आराजीयात खसरा नंबर 7649/1 व 7650 कस्बा करौली को हडपना चाहते हैं। वादी पैसे वाला व ताकतवर व्यक्ति है। प्रति. कमजोर व गरीब व्यक्ति है और वादी ताकत के बल पर प्रतिवादीगण के भवन निर्माण है और वादी ताकत के बल पर प्रतिवादीगण के भवन निर्माण को रोकने पर उतारू है जिसका वादी को कोई विधिक अधिकार नही है। वादी का दावा कब्जे के अभाव में चलने योग्य नही है। वादी ने इस मद में सारे तथ्य मनगढंत वेग व निराधार दर्ज किये है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 28.1.14 को डोल सैकडो साल पूर्व से ही जैसी हालत में है बनी हुयी है। प्रति. के भवन सैकडो साल पूर्व से पाटोर पोश व पुख्ता बने हुये है और प्रति. की 15 वर्ष पूर्व की दासाबंदी हो रही है। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा नवीन भवन निर्माण कार्य ऊंचा करते हुये किया है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 28.1.14 को कोई नवीन नवीन खुदाई कार्य नही किया है। वादी ने मात्र वादी कारण बनाने की बदनियती से यही गलत तथ्य दिनांक 28.1.14 को नींच खोदने का दर्ज किया है। दिनांक 2.2.14 को पटवारी हल्का मौके पर नही गया पटवार हल्का 9 वादी से साज किये हुये है। दिनांक 2.2.14 को पटवारी हल्का जब मौके पर नही गया है तब प्रति. को समझाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। दिनांक 7.2.14 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को समझाने वाली बात असत्य दर्ज की है। दासाबन्दी कार्य 15 वर्ष पूर्व को है जिस पर प्रतिवादीगण का निर्माण खसरा नंबर 7649/1 व 7650 में है। जिससे वादी का कोई कोई सबंध नही है। दावा वादी खारिज होने योग्य है। वादी को कोई विनाय मुखासमत दिनांक 28.1.14 व 2.2.14 को प्रतिवादीगण के विरूद्व पैदा नही हुई है। दावा वादी म्याद बाहर है और हर सूरत में खारिज होने योग्य है। वादी को प्रतिवादीगण के निर्माण कार्य को रूकवाने का कोई विधिक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण का निर्माण खसरा नंबर 7649/1 व 7650 में है। जिससे वादी का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। वादी न्यायालय हाजा से प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। दावा वादी हर सूरत खारिज किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नंबर 7649/1 रकवा 1 विस्वा खसरा नं0 4650 रकवा 2 विस्वा कस्बा करौली प्रतिवादी नं0 1 के खातेदारी व कब्जे की हैं। जिसमें प्रतिवादी नं0 1 की पाटोर पोश व पुख्ता मकानियत सैकडा वर्ष पूर्व की बनी हुई है जिसमें से पाटोर पोश मकानियत को

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

हटा कर दिनांक 6.2.14 को प्रतिवादी नं0 1 ने उसी पुरानी नींव की ऊंचाई दासाबंदी को उठाते हुये निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है जिसे वादी ताकत के व पैसे के बल पर रोकने पर उतारू हो रहा है। और दिनांक 6.2.14 को वादी ने गैरसायल नं0 1 से ऐलानियां धमकी दी कि मै तुझे तेरी खातेदारी भूमि में भवन निर्माण नही करने दूंगा और तुझे परेशान कर कर रहूंगा। वादी की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक प्रति.8. 1 पर भारी आघात है। यदि वादी ने प्रतिवादी नं0 1 को आराजी खसरा नंबर 7649/1 व 7650 में भवन निर्माण नही करने दिया तो प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा होगी। इसलिये प्रतिवादी नं0 1 वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा काउन्टर क्लेम से पाबंद कराने का अधिकारी है। अंत में दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य का विवेचन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है जो निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी नें इन विवाद्यकों के संबंध में दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2068–71 प्रस्तुत की है। जो प्रमाणित प्रति नहीं है एवं वादी द्वारा अपनी साक्ष्य से प्रदर्शित नहीं कराया गया है एवं मौखिक साक्ष्य में वादी ने वादग्रस्त भूमि को अपनी खातेदारी की होना बताया है। वादी ने जिरह में भूमि की नाम कराना बताया है परन्तु कोई नाम सीमाज्ञान आदेश या मौका पर्चा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है एवं किस खसरा नंबर में प्रतिवादी द्वारा नींव खोदी गई है यह भी नहीं बताया है और नारायण प्रतिवादी की जमीन वादी की जमीन से किस दिशा में है जिरह में बताया है कि मैं नहीं बता सकता एवं कोई फोटोग्राफ व पुलिस रिपोर्ट आवेदन निर्माण के संबंध में पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 एक–दूसरे के पूरक होने से इनका एक साथ विवेचन किया जा रहा है। प्रतिवादी ने अपनी जिरह में अपना मकान स्वंय की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 7650 में बना होना बताया है। वादी विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने में असफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 3 व 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इन विवाद्यक के संबंध में नकल जमाबंदी संवत

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

2068–71 प्रदर्श ए–1 पेश की है एवं मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी रामखिलाडी डीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है। प्रतिवादी ने अपनी जिरह है। कोई जबाव नहीं देना बताया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण विवाद्यक संख्या 3 व 4 को साबित करने में असफल रहे है। अतः विवाद्यक संख्या 3 व 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 5 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 4 के विवेचन से वादी की वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अवैध निर्माण किया जाना साबित करने में असफल रहा है एवं प्रतिवादीगण अपनी काउन्टर क्लेम में दर्ज वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी द्वारा कब्जे काश्त में व्यवधान करना साबित करने में असफल रहे है। अतः दावा वादी व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण विरूद्व वादी खारिज किये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/5/26 **को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।**

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली।